सत्यमेव जयते

संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A3-73/2018

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून : दिनांक : / जनवरी, 2019

महोदय,

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या मान्यता/केयू/सम्बद्धता/146 दिनांक 13.06.2018 व पत्र संख्या मान्यता/सम्बद्धता/के0यू0/490 दिनांक 04.01.2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव व कुलपति जी की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अधीन निम्न संस्थान को निम्नांकित पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में वर्णित अवधि के लिए नवीन अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है :–

क्र0सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	शैक्षणिक सत्र
1	2	3	4	5
1	रूद्रपुर कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, ग्राम भगवानपुर रूद्रपुर उधमसिंहनगर	1–बी0एससी0 (पी0सी0एम0)	60 सीट	सत्र 2018–19 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता।
		2–बी0कॉम0 (आनर्स)	60 सीट	
		3–बी0एच0एम0	60 सीट	
		4–बी0एससी0 (एक्यूरियल साइन्स)	60 सीट	
		5–बी0एससी0 (फायर एण्ड सेफ्टी)	60 सीट	

1. संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत कुलपति का यह दायित्व होगा कि सम्बद्धता सम्बन्धी शासनादेशों व इस सचिवालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप आधारभूत सुविधा व निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करायेगें। इस सम्बन्ध में कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध/त्रैमासिक रिपार्ट मा0 कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगें।
2. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होनें तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एकं प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
3. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एंव प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एंव आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
4. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
5. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्ध तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।